संतराम बी ए प्रजापति

(14 फरवरी 1887 - 31 मई 1988)

(कृपया इसका प्रिंट निकलवाकर पढ़ें और पढ़वाएं)

आभार : विकिपीडिया
सुगत सांस्कृतिक शैक्षिक एवं सामाजिक संस्था,
लखनऊ,(उ.प्र.) – 31.05.2021
अभिनेत्री : अनामिका सिंह
लेखक : ए के सिंह
मोबा : 7355175480

बंधुओं : जय संविधान, जय विज्ञान, जय लोकतंत्र, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय अर्जक...

.....

(संतराम बी.ए. ने जाति को मिटाने का औजार अंतर्जातिय विवाह को बताया था, और स्वयं भी विधवा तथा अंतर्जातीय विवाह किया था। और आपकी मंशा थी की अंतर्जातिय विवाह को कानूनी मान्यता मिले, इसके लिए आपने बी.जे. पटेल बिल का भी समर्थन किया था। जो कि 1918 में बी.जे. पटेल द्वारा अंतर्जातिय विवाह की कानूनी वैधता के लिए लेजिसलेटिव असेंबली में बिल पेश किया गया था।)

संतराम बी.ए. के चिंतन पर आने से पहले उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के सम्बन्ध में जानना उचित होगा। संतराम बी.ए. का जन्म 14 फरवरी 1887 में बसी नामक गांव होशियारपुर(पंजाब) में हुआ था। इनके पिता नाम रामदास गोहिल और माता का नाम मालिनी देवी था। रामदास गोहिल ने प्रथम पत्नी के देहांत के बाद पुनर्विवाह किया था। संतराम बी.ए. बताते हैं, कि पहली माँ से दो सन्तान और दूसरी मां से पाँच सन्तानें थी। इस तरह संतराम बी.ए. सात भाई बहन थे। संतराम बी.ए. ब्रिटिश भारत के ग्रेजुएट थे। इनको विद्यार्थी जीवन में ही जातिवाद का दंश झेलना पड़ा था। जब संतराम बी.ए. पाँचवी कक्षा

के विद्यार्थी थे, तो उनके सहपाठी कुम्हार-कुम्हार कह कर अपमानित किया करते थे। कुलीन वर्ग अपने बच्चो को जन्म से जातिवाद का पाठ पढ़ाकर उनके मन में दलितों और पिछड़ो के प्रति घृणा डाल देते हैं। संतराम बी.ए. ने ग्रेजुएट करने के बाद अमृतसर जिले के चभाल गांव में मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यपक नियुक्त किए गए। लेकिन नौकरी में इनका विशेष मन नहीं लगा और सन्1913 में इन्होंने नौकरी छोड़ दी।

संतराम बी.ए. के रचना संसार का फलक बहुत विस्तृत और व्यापक है। इन्होंने अपने जीवन काल में सतहत्तर(77) किताबें सामाजिक और देश-दशा के विषयों पर लिखी हैं। इनके साहित्यिक कद का अन्दाजा इस बात से लगाया जा सकता है, कि इनकी किताब 'काम-कुंज' (1929) का संपादन प्रेमचन्द ने किया था, जो लखनऊ के मुंशी नवलकिशोर प्रेस से छपी थी। संतराम बी.ए. एक अच्छे अनुवादक भी थे। इन्होंने 'अलबेरूनी का भारत' का अनुवाद किया, जिसे इन्डियन प्रेस, प्रयाग(उ.प्र.) ने चार भागों में प्रकाशित किया था। इसके अलावा संतराम बी.ए. ने 'गुरूदत्त लेखावाली' (1918) 'मानव जीवन का विधान' (1923) 'इत्सिंग की भारत यात्रा' (1925) 'अतीत कथा' (1930) 'बीरगाथा' (1927) 'स्वदेश-विदेश-यात्रा' (1940) 'उद्बोधनी' (1951) 'पंजाब की कहानियाँ' (1951) 'महाजनों की कथा' (1958) पुस्तकों के अलावा 'मेरे जीवन के अनुभव' (1963) नाम से आत्मकथा लिखी है। संतराम बी. ए. की आत्मकथा 'मेरे जीवन के अनुभव' कई मायने में महत्वपूर्ण हैं। यह आत्मकथा नवजागरण कालीन समाज के उस विमर्श को हमारे समाने रखती है, जिसको हिन्दी लेखक अक्सर छुपा लिया करते हैं। अस्मितावादी विमर्शों के दौर में यह आत्मकथा और महत्वपूर्ण लगने लगती है। हिन्दी साहित्य की यह एक अनूठी आत्मकथा है, जिससे पता चलता है कि जातिवाद की मूल जड़ें कहाँ है?

संतराम बी.ए. नवजागरण काल के अद्भुत लेखक और कुशल संपादक थे। इन्होंने पाँच पत्रिकाओं का संपादन किया-'उषा' (1914, लाहौर), 'भारती' (1920,जलन्धर), 'क्रांति' (1928, उर्दू लाहौर), 'युगान्तर' (जनवरी 1932,लाहौर), और 'विश्व ज्योति' (होशियारपुर)। 'युगान्तर' नवजागरण काल की बड़ी क्रांतिकारी पत्रिका थी। इस पत्रिका में जाति और वर्णा-व्यवस्था पर बड़े ही तीखे और आलोचनात्क लेख लिखे जाते थे।

संतराम बी.ए. ने हिन्दू मनोवृत्ति को बड़ी गहराई से परख लिया था। इन्होंने अस्पृश्यता और जाति की जड़ 'वर्ण-व्यवस्था' को माना था। इनकी दृष्टि में जाति और वर्ण-व्यवस्था एक सामाजिक बुराई थी, जिसने दलितों को अछूत और पिछड़ो को गुलाम के रुप में स्थापित कर दिया था। यह सही बात है कि उच्च वर्ण के हिन्दुओं ने वर्ण-व्यवस्था को ईश्वरीय विधान का जामा पहनाने का काम किया है। संतराम बी.ए. ने इस सिंद्धात को नकार दिया था, कि 'वर्ण-व्यवस्था ईश्वरी विधान' है। इनका प्रबल दावा था, कि ब्राह्मणों ने वर्ण-व्यवस्था को अपने स्वार्थपूर्ति के लिए गढ़ा और बनाया है। इस व्यवस्था का घोषित लक्ष्य ब्राह्मणों को अपना वर्चस्व स्थापित कर समाज को चौरंगा बना देना था।

संतराम बी.ए. की संकल्पना थी, कि अस्पृश्यता का मुख्य कारण वर्ण-व्यवस्था है। जब तक वर्ण व्यवस्था का खात्मा नहीं हो जाता; तब तक दलितों और पिछड़ों को समाजिक प्रतिष्ठा और न्याय प्राप्त नहीं हो सकता है। संतराम बी.ए. ने 'जात-पांत और अछूत प्रथा' लेख में अस्यपृश्यता का कारण बताते हुए लिखा था :

"इस अछूतपन का मूल कारण हिन्दुओं की वर्ण-व्यवस्था या जात-पांत है। जब तक इस रजरोगी की जड़ नहीं कटती, अस्पृश्यता कदापि दूर नहीं हो सकती। जो लोग वर्ण-व्यवस्था को कायम रखते हुए अछूतपन को दूर करने का प्रयत्न करते हैं, वे ज्वर के रोगी का हाथ बर्फ में रखकर उसका ज्वर शान्त करने का उपाय करते हैं।"

इस कथन से संतराम बी.ए तत्कालीन समय के सुधारवादियों को वर्ण-व्यवस्था के संबंध में दुरुस्त भी करते दिखाई देते हैं। संतराम बी.ए. ने वर्ण-व्यवस्था को समाज-विभाजित करने वाला कारक ही नहीं, बल्कि बहुजनों के लिए मर्ण-व्यवस्था के तौर पर देखा था। इन्होंने वर्णवाद के रखवालों से प्रश्न किया था, कि 'यह वर्ण-व्यवस्था है या मर्ण व्यवस्था ?' इनकी नजर में वर्ण-व्यवस्था कोई ईश्वरीय नहीं थी, जिस पर सवाल न उठाया जाए :

''जन्म-मूलक वर्ण-व्यवस्था कोई ईश्वर नहीं, जिसके विरुद्ध आवाज उठाना घोर नास्तिकता समझी जाए। अपने समाज के कल्याण के लिए उसे हम एकदम ठुकरा सकते हैं। हमें इसमें किसी का भय नहीं है।"

औपनिवेशिक दौर के सुधारक और लेखक जब सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करते हैं, तो वर्ण-व्यवस्था के रक्षक उन्हें 'दयानंद पंथी' , 'विलायत पंथी' और 'नास्तिक पंथी' का

तमगा प्रदान करने में जरा भी देर नहीं लगाते थे। संतराम बी.ए. जाति और वर्ण-व्यवस्था के विरुद्ध जैसे ही कुछ लिखते, वैसे ही उच्च श्रेणी के हिन्दू लेखक इनके खिलाफ पत्र-पत्रिकाओं में मोर्चा खोल देते थे। यह बड़ी दिलचस्प बात है, कि हिन्दी के प्रसिद्ध भाषाविद् किशोरीदास बाजपेयी और हिन्दी साहित्य के मजबूत स्तंभ सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' संतराम बी.ए. का विरोध करते दिखाई देते हैं।

किशोरीदास बाजपेयी ने संतराम बी.ए. द्वारा उठाया गया सवाल, कि 'वर्ण-व्यवस्था ही जातिवाद की जननी है' का खण्डन कर वर्ण-व्यवस्था के मंडन में उतर आए थे। किशोरीदास बाजपेयी का स्पष्ट कहना था, कि वर्ण-व्यवस्था अस्पृश्यता की जनक नहीं है। इस भाषाविद् ने लिखा था :

''वर्ण-व्यवस्था अछूतपन की जननी है, यह केवल अज्ञान-प्रलाप है। कोई भी तर्क या अनुभव इसमें प्रमाण नहीं और न दिल ही मानता है। वर्ण-व्यवस्था से इस पाप का संपर्क बतलाना तो ऐसा ही है, जैसे सूर्य में अंधकार बतलाना।"

यह जानते हुए कि वर्ण मूलक व्यवस्था ने दलित-पिछड़ों और स्त्रियों पर कितना जुल्म और अत्याचार ढ़ाया है; इसके बावजूद इस भाषाविद् ने वर्ण-व्यवस्था को समाज के लिए कल्याणकारी व्यवस्था के तौर पर देखा था। इस भाषाविद् ने संतराम बी.ए. पर 'पाश्चात्यवादी चश्मा' का आरोप जड़कर भारतीय संस्कृति को जानने की नसीहत तक दे डाली थी।

अब सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' की बात की जाए। जब संतराम बी.ए. ने 'जात-पांत-तोड़क मण्डल' बनाया और इस मण्ड़ल की चर्चा जोर पकड़ने लगी, तब सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' ने 'वर्णाश्रम-धर्म की वर्तमान स्थिति' लेख लिखकर संतराम बी.ए. और इनके 'जात-पांत-तोड़क मण्डल' के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। निराला की दृष्टि में यह मण्डल अप्रासंगिक था। क्योंकि यह जात-पांत तोड़ने की बात करता था। इनकी दृष्टि में मण्डल की प्रासंगिकता तब होती जब यह 'जात-पांत-तोड़क' नहीं 'जात-पांत-योजक' होता। सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' लिखते हैं :

"जाति-पाँत-तोड़क मण्डल" मंत्री संतराम बी.ए. के करार देने से इधर दो हजार वर्ष के अन्दर का संसार का सर्वश्रेष्ठ विद्वान् महामेधावी त्यागीश्वर शंकर, शूद्रों के यथार्थ शत्रु

सिद्ध हो सकते हैं। शूद्रों के प्रति उनके अनुशासन, कठोर-से-कठोर होने पर भी, अपने समय की मर्यादा से दृढ़ संबद्ध हैं। खैर, वर्ण-व्यवस्था की रक्षा के लिए जिस "जायते वर्ण संकरः" की तरह के अनेकानेक प्रमाण उद्धृत किए गए हैं, उनकी सार्थकता इस समय मुझे तो कुछ भी नहीं देख पड़ती, न ''जाति-पाँत-तोड़क मण्डल" की ही विशेष कोई आवश्यकता प्रतीत होती है। ''जात-पाँत-तोड़क मण्डल" को मैं किसी हद तक सार्थक समझता, यदि वह "जाति-पाँति-योजक मंडल" होता।

निराला की चिंता थी, कि संतराम बी.ए. जात-पांत-तोड़क मण्डल की स्थापनाकर जाति तोड़ने का उद्यम क्यों रहे है ? निराला चाहते थे, कि संतराम बी.ए. 'ब्रह्म समाज' की शाखा लाहौर में स्थापित कर जाति जोड़ने का काम करना चाहिए था। इनके अनुसार हिन्दू सुधारकों का पिछलग्गू बनकर संतराम बी.ए.को समाज सुधार का कार्य करना चाहिए था।

सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' ने संतराम बी.ए.की पढ़ाई के बहाने दलितों और पिछड़ों की शिक्षा का मजाक उड़ाया था। इस महाकवि की दृष्टि में अंग्रेजी शिक्षा पाकर शूद्र उद्दंड हो गए हैं। इस शिक्षा के बल पर भारतीय संस्कृति और वर्ण विधान को चौपट करने में लगे हुए हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' ने संतराम बी.ए. की शिक्षा का मजाक उड़ाते हुए लिखा था :

''अंग्रेजी स्कूलों और कालेजों में जो शिक्षा मिलती है, उससे दैन्य ही बढ़ता है, और अपना अस्तित्व भी खो जाता है। बी.ए. पास कर के धीवर, लोध अगर ब्राह्मणों को शिक्षा देने के लिए अग्रसर होंगे, तो संतराम बी.ए. की तरह हास्यास्पद होना पडेगा।"

यह निराला का उच्चवर्णीय दंभ नहीं तो और क्या है? यह तो वर्ण व्यवस्था के विधान के अनुकूल बात हो गई कि जिसमें कहा गया कि कोई 'शूद्र ज्ञानवान' होते हुए भी ब्राहाण को शिक्षा नहीं दे सकता है। गौरतलब है कि संतराम बी.ए. कुम्हार जाति के थे। वर्ण-विधान के अनुसार वे शूद्र वर्ण में आते हैं। ब्राह्मणों को यह बात शूल की तरह चुभ रही थी, कि पिछड़े समाज का व्यक्ति ब्राह्राणों का गुरू कैसे बन गया है! यह वर्ण व्यवस्था का चमत्कार ही कहा जायगा, कि दलितों, पिछड़ों और स्त्रियों को प्राणविहीन और उच्च वर्ण के हिन्दुओं को महाप्राण बनाने का काम किया है।

(संतराम बी.ए.ने जाति को मिटाने का औजार 'अंतरजातीय विवाह' को बताया था।)

ध्यातव्य है कि, जात-पांत-तोड़क मण्डल ने जाति व्यवस्था को मिटाने के लिए अंतर्जातीय विवाह पर बल दिया था। संतराम बी.ए. का विश्वास था, कि यदि उच्च श्रेणी के हिन्दू रोटी-बेटी की बेड़ियां तोड़ दें, तो समाज से जाति व्यवस्था मिटाई जा सकती है। संतराम का सुझाया गया अंतर्जातीय विवाह का नुस्खा उच्च वर्ण के लेखकों को रास नहीं आया था। दरअसल, सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' तो अंतरजातीय विवाह के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। अंतरजातीय विवाह को लेकर उनके विचार थे :

"अछूतों के साथ रोटी-बेटी का संबंध स्थापित कर, उन्हें समाज में मिला लिया जाए या इसके न होने के कारण ही एक विशाल संख्या हिन्दू राष्ट्रीयता से अलग है, यह एक कल्पना के सिवा और कुछ नहीं। दो मनों की जो साम्य-स्थिति विवाह की बुनियाद है और प्रेम का कारण, इस तरह के विवाह में उसका सर्वथा अभाव ही रहेगा। और, जिस यूरोप की वैवाहिक प्रथा की अनुकूलता संतराम जी ने की है, वहाँ भी यहीं की तरह वैषम्य का साम्राज्य है।"

यह ब्रिटिश भारत की ऐताहासिक घटना थी, कि जात-पाँत तोड़क मण्डल ने सैकड़ों अंतर्जातीय विवाह करवाये थे। इस तरह संतराम बी. ए. आधुनिकता से लैस सुधारक और विचारक के रुप में सामने आते हैं। इनके सिद्धांत और व्यवहार में अंतर नहीं था। इन्होंने पत्नी का देहांत हो जाने के बाद एक विधवा से अंतर्जातीय विवाह कर समाज में मिसाल कायम की थी।

संतराम बी.ए. की मंशा थी, कि अंतर्जातीय विवाह को कानूनी मान्यता मिले। इसके लिए इन्होंने बी.जे पटेल बिल का जमकर समर्थन किया था। सन् 1918 में बी.जे. पटेल ने अंतर्जातीय विवाह को वैद्यता प्रधान करने के लिए लेजिस्लेटिव असेम्बली में बिल पेश किया गया था। बिल में इस बात पर विशेष जोर दिया गया था, कि जो लोग अंतर्जातीय विवाह करते हैं उनके विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की जाए। इस बिल में एक बात और जोड़ी गई थी, कि अंतर्जातीय विवाह से उत्पन्न संतान को अपने बाप-दादा की पैतृक सम्पति में अधिकार दिया जाए। दरअसल, अंतर्जातीय विवाह करने वाले लोगों की यह समस्या थी, कि उनके अंतर्जातीय विवाह को हिन्दू लॉ के अनुसार तत्कालीन समय में वैध नहीं माना जाता था। इस समस्या के समाधान के लिए ही 'पटेल-बिल' लाया गया था। इस बिल का तत्कालीन समाज में घोर विरोध हुआ था। सनातनधर्म-सभा, लाहौर ने पटेल-बिल

के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इसके आलावा अमृतराय जर्नलिस्ट ने अट्ठाईस पृष्ठों का अंग्रेजी में पैम्फलेट लिखकर लोगों में बंटवाया था। इस पैम्फलेट में अंतर्जातीय विवाह के विरोध में अनेक दलीलें पेश की गई थीं। और सरकार से यह अपील की गई थी, कि हिन्दू जन-भावनाओं का ध्यान रखते हुए इस बिल को पास न किया जाए।

संतराम बी.ए. ने 'अंतर्जातीय विवाह' लेख लिखकर अमृतराय की आपत्तियों का बड़ा ही तार्किक खण्डन किया था। अमृतराय की आपत्ति थी, कि अंतर्जातीय विवाह हिन्दू भावना के विरुद्ध है। संतराम बी.ए. ने इस आक्षेप के जवाब में लिखा था :

''आपको देश की स्थिति का ठीक से ज्ञान नहीं जान पड़ता, नहीं तो आप ऐसा न कहते। लोग बिरादरियों के संकीर्ण क्षेत्रों से तंग हैं, पर आप जैसे कट्टर पौराणिकों ने उनको इतना भयभीत कर रखा है, कि जाति के बाहर जाने का साहस ही नहीं रहा।"

संतराम बी.ए. हिन्दुओं की कथनी और करनी को लेकर सवाल उठाते थे। वे हिन्दुओं से पूछते थे, कि आप चमारों और भंगियों से भेदभाव क्यों करते हैं? अछूतों को सर्वजानिक संपत्ति का उपयोग करने से क्यों वंचित कर रखा है? अछूतों को कुओं से पानी भरने का अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा हैं? हिन्दू सुधारक अछूत मुद्दों पर अपनी चुप्पी क्यों साध लेते हैं? इन तीखे सवालों का जवाब वर्णवादियों के पास नहीं था। इसलिए संतराम बी.ए. की योग्यता पर सवाल उठाया गया इनको हिन्दू संस्कृति के विध्वंसक का खिताब दिया गया। इस से आगे बढ़कर इन्हें मिस मेयो कैथरीन का भाई बताया गया। गौरतलब है कि मिस मेयो कैथरीन ने 'मदर इन्डिया' नामक एक मारक किताब लिखी थी।

संतराम बी.ए. के बाबासाहेब डा. आम्बेडकर से घनिष्ठ सम्बन्ध थे।

सन्तराम बी ए ने डा.आम्बेडकर को सन् 1936 में जात-पांत-तोड़क मण्डल के वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया था। जात-पांत-तोड़क मण्डल के वार्षिक अधिवेशन का उद्देश्य यह था, कि जाति व्यवस्था को कैसे मिटाया जाए? जांत-पांत तोड़क मण्डल के वार्षिक अधिवेशन होने के कुछ दिन पहले ही डा. आम्बेडकर ने जाति-व्यवस्था से तंग आकर यह घोषणा कर दी थी, कि 'यद्यपि मैं हिन्दू जन्मा हूँ लेकिन हिन्दू के रुप में मरूंगा नहीं' । डा. आम्बेडकर की इस घोषणा से पूरे देश में तहलका मच गया था। लाहौर के भद्रवर्ग समाज ने संतराम बी.ए. को धमकी दे डाली, कि यदि डा.आम्बेड़कर मण्डल के

वार्षिक अधिवेशन में आयेंगे, तो हम काला झण्डा दिखाकर उनका विरोध करेंगे। संतराम बी.ए. ने अंत में डा.आम्बेडकर की गरिमा का ख्याल रखते हुए सन् 1936 में होने वाले जात-पांत-तोड़क मण्डल का वार्षिक अधिवेशन स्थगित कर दिया। संतराम बी.ए. ने इस प्रकरण पर अपनी आत्मकथा में लिखा है :

"डा. आम्बेडकर को अध्यक्ष बनाने का मेरा एक उद्देश्य यह भी था, कि जो बात हम डाक्टर साहेब को तर्क से नहीं मनवा सके, वह उनके हृदय को अपील करके प्रेम में मनवाने के यत्न करें। परन्तु जब मैंने देखा कि लाहौर के प्रतिष्ठित सज्जन काले झण्ड़े दिखाएंगे तो मैंने सम्मेलन को स्थगित कर देना ही उचित समझा।"

हिन्दुओं की संकीर्ण मानसिकता के चलते यह सम्मेलन भले ही स्थगित हो गया था। लेकिन सुखद पहलू यह था, कि संतराम बी.ए. ने बाबासाहेब के भाषण 'जाति उच्छेद' को जात-पांत-तोड़क मण्डल की ओर से प्रकाशित कर वितरित कर दिया था। यही भाषण बाद में "**Annihilation of caste**" नाम से किताब के रूप में प्रकाशित हुआ। डा.अम्बेडकर से 'एनिहिलेशन आफ कास्ट' किताब लिखवाने का श्रेय संतराम बी.ए. को दिया जाना चाहिए।

जब 'एनिहिलेशन आफ कास्ट' किताब छपी, तो महात्मा गांधी ने 'हरिजन' पत्र के 11 और 18 जुलाई 1936 के अंक में आलोचना की। संतराम बी. ए. ने गांधी जी की आलोचना का जवाब 'हरिजन' पत्र में ही दिया था। संतराम बी.ए. ने गांधी के लेख पर कई सवाल भी उठाए थें। इन्होंने गांधी जी से पूछा था, कि आप अस्पृश्यता को दूर करने का उपाय तो करते हैं, लेकिन वर्ण-व्यवस्था का बचाव क्यों करते हैं? यह भी सवाल उठाया था कि जाति व्यवस्था का शास्त्रों में समाधान खोजना वैसा ही है, जैसे कीचड़ को कीचड़ से धोना। संतराम बी.ए. के समकालीन हिन्दू लेखक और सुधारक वर्ण व्यवस्था को खत्म किए बिना ही अस्पृश्यता और जात-पांत को मिटाना चाहते थे। जबकि संतराम बी.ए. वर्ण-व्यवस्था ही को खत्म करने की बात कर रहे थे। इनका मानना था कि जब तक जाति व्यवस्था की जड़ वर्ण-व्यवस्था नहीं मिटेगी, तब तक दलितों और पिछड़ों की समस्या का समाधान नहीं होगा।

संतराम बी.ए जीवन भर जाति-व्यवस्था के भयंकर उत्पातों को सामने लाकर इसे मिटाने का संघर्ष करते रहे। संतराम बी.ए. ने समाज को समतल बनाने के लिए जिन सिद्धातों

पर काम किया, उनमें पहला सिद्धांत था : कि वर्ण-व्यवस्था को खत्म कर दिया जाये। यदि वर्ण-व्यवस्था खत्म होती है, तो स्वतः लोग समता और समतल का रास्ता अपने आप पकड़ कर चलाने लगेंगे। इनका दूसरा सिद्धांत था, कि समाज में यदि अंतर्जातीय विवाह का प्रचलन शुरु कर दिया जाए, तो जाति-व्यवस्था की जडे आपने आप सूख जायेगीं। एक तरह से संतराम बी.ए. रोटी और बेटी की हंदबदी के एकदम खिलाफ थे। संतराम बी.ए. वर्णवादियों के सवालों से घबराते नहीं थे; वे अपने खिलाफ सवालों का बड़ा ही तार्किक जवाब दिया करते थे। हिन्दी नवजागरण की शायद ही कोई पत्रिका रही होगी, जिसमें संतराम बी.ए. ने जाति व्यवस्था के खिलाफ कुछ लिखा न हो। संतराम बी.ए. ने जाति व्यवस्था और वर्ण-व्यवस्था की जड़ पर खुलकर प्रहार किया। अपने सिरहाने मनुस्मृति रखकर सोने वाले विद्वानों की मानसिकता पर मारक प्रहार किया। संतराम बी.ए. जाति और वर्ण-व्यवस्था के जानी दुश्मन थे। इस मानव विरोधी दुश्मन पर जितना मारक प्रहार इन्होंने किया, शायद ही नवजागरण कालीन किसी हिन्दी लेखक ने किया था। ताज्जुब होता कि हिन्दी के आलोचकों ने उनके योगदान का नोटिस तक नहीं लिया।

(कृपया इसका प्रिंट निकलवाकर पढ़ें और पढ़वाएं)

-:समाप्त:-

सुगत सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं सामाजिक संस्था,
लखनऊ (उ.प्र.)
अभिनेत्री : अनामिका सिंह
लेखक : ए. के. सिंह
7355175480